


न्यायालय श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय

राजस्व मंडल ग्वालियर (म०प्र०)



R 4291- II - 18

सिद्धमुनि प्रसाद पटेल तनय स्व० श्री चन्द्रभान पटेल निवासी ग्राम ढावा
गौतमान थाना व तहसील हनुमना जिला रीवा (म०प्र०)

..... निगरानीकर्ता / आवेदक

बनाम

मंगल प्रसाद द्विवेदी तनय श्री अवधराम द्विवेदी निवासी ग्राम ढावा गौतमान
थाना व तहसील हनुमना जिला रीवा (म०प्र०)

..... गैरनिगरानीकर्ता / अनावेदक

श्री कार्ड चि. द्विवेदी कांफ
द्वारा आज दि 21-12-16 को
प्रस्तुत

21-12-16
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

21-12-16
02414

Am

842
21/12/16

मान्यवर,

आधार निगरानी निम्न है:-


1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश विधि व प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में आदेश पारित करने में इतनी जल्दबाजी की है कि निगरानीकर्ता/आवेदक को सुनवायी का अवसर प्रदान किये बिना एवं विधि व प्रक्रिया के विपरीत प्रश्नाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।
3. यह कि निगरानीकर्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष म०प्र० भू राजस्व संहिता की धारा 115, 116 के तहत प्रविष्टि सुधार वावत् आवेदन

(72)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-4291-दो/16

जिला - रीवा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23/05/2019	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आई.पी. द्विवेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार हनुमना जिला रीवा के प्रकरण क्र. 73/अ-6-अ/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 21.10.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 15.07.2019 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  (बी.एम. शर्मा) सदस्य </p>	